

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

संकल्प

संख्या – यू- 23013/14/2016-एल. डब्ल्यू. — ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद् द्वारा विभिन्न पत्तनों (अखिल भारतीय) द्वारा, जहां ठेका श्रम प्रणाली प्रतिषिद्धि की गई है, किए गए उल्लंघन की विस्तारपूर्वक जांच एवं अनुवीक्षण हेतु एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-

- (i) श्री आर.मोहन दास, —सदस्य
निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध),
कोल इंडिया लि., 10, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700001
- (ii) श्री आलोक कुमार, —सदस्य
कार्यकारी निदेशक(औद्योगिक संबंध),
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली
- (iii) डा. विवेक मॉन्टेरियो, —सदस्य
सचिव,
मुम्बई श्रमिक संघ का कार्यालय,
कैरी रोड, भांडुप, मुम्बई-400078

- (iv) श्री रमेन्द्र कुमार, —सदस्य
अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
भारतीय खान कामगार परिसंघ,
द्वारा – यूनाइटेड वर्क्स यूनियन्स, बुद्ध बाजार,
पोस्ट-भुरखुंडा-825301
जिला हजारीबाग, झारखंड
- (v) श्री राज बिहारी शर्मा, —सदस्य
भारतीय मजदूर संघ,
2/400, विद्याधर नगर,
जयपुर-302023
- (vi) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, —सदस्य
महासचिव, हिंद खदान मजदूर परिसंघ,
(हिंद मजदूर सभा)
ब्ला.सं. सी/8, सैक्टर-6,
राउरकेला-2, जिला-सुंदरगढ़ ओडिशा
- (vii) सचिव,
केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, सदस्य-संयोजक
जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड,
नई दिल्ली
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:
“विभिन्न पत्तनों (अखिल भारतीय) द्वारा जहां ठेका श्रम प्रणाली प्रतिषिद्धि की गई है, किए गए उल्लंघन की विस्तारपूर्वक जांच एवं अनुवीक्षण”
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति पक्षों को फिर से सुनेगी तथा यदि कोई अनुरोध हो तो उसकी अनुमति देते हुए अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।
- ए.के.सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th August, 2016

No. U-23013/14/2016-L.W. .— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to examine and investigate in detail the violation being done by several Ports (all over India) where contract labour system has been prohibited.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

- (i) Shri R. Mohan Das, —Member
Director (Personnel and Industrial Relations),

- Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road,
Kolkata -700001
- (ii) Shri Alok Kumar, -Member
Executive Director (Industrial Relations),
Ministry of Railways, (Railway Board),
New Delhi.
- (iii) Dr.Vivek Monteiro, -Member
Secretary,
Office of Mumbai Shramik Sangh, Quarry Road,
Bhandup, Mumbai-400078
- (iv) Shri Ramendra Kumar, -Member
President, All India Trade Union Congress,
Indian Mine Workers Federation,
C/o United Works' Unions, Budh Bazar,
P.O. Bhurkunda-825301
District-Hazaribagh, Jharkhand
- (v) Shri Raj Behari Sharma, -Member
Bhartiya Mazdoor Sangh,
2/400, Vidyadhar Nagar,
Jaipur-302023
- (vi) Shri Rajendro Prasad Singha, -Member
General Secretary, Hind Khadan Mazdoor Federation
(Hind Mazdoor Sabha),
Quarter. No. C/8, Sector -6,
Rourkela-2, District Sundergarh, Odisha
- (vii) The Secretary, -Member Convener
Central Advisory Contract Labour Board
Jaisalmer House, 26, Mansingh Road,
New Delhi.

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

“To examine and investigate in detail the violation done by several Ports (All over India) where contract labour system has been prohibited.”

4. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A.K.SINGH, Secy.